रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 2, 1941
No. 487] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 2, 1941

IndiaCode

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर 2019

फा. सं. बीएस/11/07/2019 - केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर भर्ती) विनियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर भर्ती) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है ;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ग) ''निर्धारण समिति'' से विनियम 14 के उप-विनियम (3) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) ''गेट'' से भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग में ग्रैजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट अभिप्रेत है;

(ङ) ''आंतरिक छानबीन समिति'' से विनियम 14 के उप-विनियम (2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) ''अनुसूची'' से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) ''अनुसूचित जाति'' और ''अनुसूचित जनजाति'' के वही अर्थ होंगे, जो उसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में दिए गए हैं;

(ज) ''वैज्ञानिक काडर'' से विनियम 3 और विनियम 4 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो वैज्ञानिक काडर में विनिर्दिष्ट पद अभिप्रेत है।

(झ) ''छानबीन समिति'' (screening committee) से विनियम 9 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ञ) ''चयन समिति'' से विनियम 10 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ट) ''नियम'' से राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584 (अ), तारीख 25 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(ठ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, विभिन्न अधिनियमों या नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमशः अधिनियम और नियमों में समनुदेशित हैं।

3. वैज्ञानिक काडर का गठन – भारतीय मानक ब्यूरो वैज्ञानिक काडर के नाम से ज्ञात एक वैज्ञानिक काडर का गठन किया जाएगा, जो पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों दूसरी अनुसूची में दिए गए विषयों में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगा।

4. वैज्ञानिक काडर के सदस्य - निम्नलिखित व्यक्ति वैज्ञानिक काडर के सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) तत्कालीन भारतीय मानक संस्थान सेवा काडर के व्यक्ति जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन वैज्ञानिक काडर के सदस्य ;

(ख) इन विनियमों के प्रारंभ से पहले भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक काडर पर नियुक्त किए गए व्यक्ति; और

(ग) इन विनियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति।

5. भर्ती की पद्धति (वेतनमान, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि):- वैज्ञानिक काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति, वेतनमान, आयु-सीमा, अर्हताएँ और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

6. वैज्ञानिक-ख पर सीधी भर्ती – (1) वैज्ञानिक-ख के पद पर सीधी भर्ती दूसरी अनुसूची में उन विषयों के संबंध में जिसके लिए गेट आयोजित की जाती है, के लिए विधिमान्य गेट स्कोर के आधार पर तथा उन विषयों के संबंध में जिसके लिए गेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती, उनके लिए प्रतियोगी ऑनलाईन परीक्षा के आधार पर उप-विनियम (3) के अनुसार की जाएगी।

(2) वैज्ञानिकों की विषयवार आवश्यकता का अवधारण वैज्ञानिकों की विद्यमान संख्या एवं विषयवार रिक्तियों के आधार पर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से किया जाएगा।

(3) रिक्तियों को भरने की पद्धति निम्नानुसार होगी:

(क) यथा अवधारित रिक्तियां अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य समाचार पत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पदों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए आरक्षण, आवश्यक अर्हताएँ और आयु संबंधी अपेक्षा के संबंध में पूर्ण जानकारी देते हुए विज्ञापित की जाएगी।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास साठ प्रतिशत से अधिक अंकों सहित (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों या समतुल्य के लिए पचास प्रतिशत) इन्जीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री अथवा प्राकृतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य है और वे तीस वर्ष की आयु के हैं, वैज्ञानिक-ख के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे :

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा, ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा में और व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्गों की बाबत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, उस विस्तार तक तथा उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत अधिसूचित की जाएं, शिथिल की जा सकेंगी।

(ग) विधिमान्य गेट के स्कोर वाले को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा और साक्षात्कार या ग्रुप डिस्कशन अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या विधिमान्य गेट स्कोर के योग्यता क्रम में संबंधित विषय में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के चार गुणा से अधिक नहीं होगी;

(घ) प्रतियोगी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए ब्यूरो द्वारा महानिदेशक के विनिश्चयानुसार व्यावसायिक संस्थान या एजेंसी माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी और साक्षात्कार या ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, संबंधित विषय में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के चार गुणा से अधिक नहीं होगी, उक्त ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में से योग्यता के क्रम में होगी।

(ड) अभ्यर्थियों का विषयवार चयन एक या अधिक चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा जिसका अवधारण कुल प्राप्त अंकों द्वारा किया जाएगा जिसमें खंड (ग) में विनिर्दिष्ट गेट के स्कोर के लिए पचासी प्रतिशत का महत्व होगा अथवा खंड (घ) में विहित परीक्षा प्रक्रिया द्वारा और खंड (ग) एवं खंड (घ) के अधीन साक्षात्कार या ग्रुप डिस्कशॅन और साक्षात्कार के लिए पंद्रह प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजन के किन्हीं अभ्यर्थियों का चयन, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के विस्तार तक, जो खंड (ग), (घ) और (ड) में अधिकथित मानदण्ड के आधार पर नहीं भरी जा सकती, आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए मापदण्ड को शिथिल करते हुए, चयन के लिए इन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, किया जा सकेगा।

(छ) रिक्तियों को भरने के लिए योग्यता अनुसार सफल अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची तैयार की जाएगी जो ऐसी सूची को तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी।

7. वैज्ञानिक-ख के लिए परिवीक्षा और प्रतिभू बंधपत्र (surety bond): (1) सीधी भर्ती प्रोन्नति पर वैज्ञानिक-ख के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी जिसके दौरान महानिदेशक उनके लिए ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा और ऐसे दायित्व देगा जो उनके लिए आवश्यक हों तथा उन्हें परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के लिए विहित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और निम्नलिखित के लिए कदम उठाए जाएंगे –

(क) यदि कर्मचारी ने नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण की हो तो, यथास्थिति उसकी पुष्टि की जाएगी अथवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति से संबंधित आदेश जारी किया जाएगा; या

(ख) यदि परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी ने संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि पूरी न की हो तो, यथास्थिति संबद्ध नियमों और आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाएगी, जो छह माह से अधिक न हो या परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी कार्यमुक्त किया जाएगा अथवा परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जाएगी:

परन्तु यदि परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी को प्रोन्नत किया गया हो, तो उसे उपयुक्त चयन समिति की सिफारिशों पर उसकी सेवा समाप्त करने के स्थान पर उसके पूर्व पद पर वापस किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी की पुष्टि करने या परीवीक्षा अवधि को बढ़ाने, के निर्णय की सूचना अभ्यर्थी को सामान्यत: परीवीक्षा अवधि समाप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी।

(4) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद परिवीक्षा अभ्यर्थी की पुष्टि स्वतः नहीं होगी, अपितु इसका औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा, जब तक कि पुष्टि किए जाने के लिए अथवा परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को संतोषप्रद समाप्ति के लिए कोई विशेष आदेश न निकाला गया हो, ऐसे परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में ही माना जाएगा।

(5) जिस तारीख से पुष्टि किया जाना प्रभावी हो, यथास्थिति, वह तारीख विहित परिवीक्षा अवधि अथवा विस्तारित परिवीक्षा अवधि, के संतोषपूर्ण समाप्ति की तारीख के बाद की हो।

(6) वैज्ञानिक-ख के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को ब्यूरो में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि की सेवा का प्रतिभूबंधपत्र देना होगा जो कि ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा। उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार कोई व्यक्ति यदि नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से पूर्व या तो त्यागपत्र देकर सेवा छोड़ने का निर्णय लेता है या बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अंतिम लिए गये वेतन की दर पर ब्यूरो को छह माह की परिलब्धियां लौटानी होंगी, यदि उसने कमतर अवधि के लिए काम किया हो, उस मामले में उसे ली गई पूरी राशि लौटानी होगी।

8. प्रतिनियुक्ति द्वारा अन्य पदों पर चयन – (1) जहाँ कार्यकारिणी समिति ब्यूरो के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, वहाँ वह वैज्ञानिक-ग और इसके ऊपर वैज्ञानिक-छ पद के स्तर तक के पदों को प्रतिनियुक्ति पर भर सकेगी।

परन्तु वैज्ञानिक-च और वैज्ञानिक-छ के पदों की दशा में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भी लेना होगा।

(2) ऐसे पदों को प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा, जिसमें प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्टानुसार पदों की संख्या, विहित अर्हताएँ, आयु-सीमा, विशिष्ट विशेषज्ञता, यदि आवश्यक हो, और अनुभव से संबंधित पूर्ण जानकारी देनी होगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो विहित अपेक्षाएं पूरी करते हों और विनियम 9 के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हों, उन्हें चयन के लिए बुलाया जाएगा।

9. छानबीन समिति (screening committee) – (1) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन समिति द्वारा छानबीन की जाएगी जिसमें ब्यूरो से वैज्ञानिक-घ स्तर के कम से कम तीन अधिकारी होंगे और उनमें से सबसे ज्येष्ठ अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु छानबीन समिति में कम से कम एक अधिकारी उस पद स्तर से ऊपर का हो जिस पद के लिए चयन किया जाना है।

(2) छानबीन समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों पर चयन समिति द्वारा चयन के लिए विचार किया जाएगा।

10. चयन समिति – (1) महानिदेशक द्वारा वैज्ञानिक-ख, वैज्ञानिक-ग, वैज्ञानिक-घ और वैज्ञानिक-ड़ के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) ब्यूरो के दो अधिकारी जो वैज्ञानिक-च के स्तर से अन्यून हों जिनमें से जयेष्ठ अध्यक्ष होगा; और

(ii) बाहर से तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक - च की पंक्ति से अन्यून के हों:

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से किसी व्यक्ति के चयन के संबंध में इन श्रेणियों से संबंधित एक सदस्य होगा।

(2) वैज्ञानिक-च और वैज्ञानिक-छ के पदों पर चयन के लिए चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) सचिव, ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग -अध्यक्ष

(ii) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग; -सदस्य

(iii) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो; -सदस्य

(iv) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला; -सदस्य

(v) निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान; -सदस्य

(vi) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या -सदस्य

उसका प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव स्तर से कम का न हो।

11. नियुक्ति प्राधिकारी – चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी:

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वैज्ञानिक-च और वैज्ञानिक-छ के पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

12. निरर्हता - (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर प्रारंभिक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि –

(क) वह 21 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो; और

(ख) वह भारत का नागरिक हो या वह व्यक्ति ऐसे प्रवर्ग से संबंधित हो जो केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हो।

(2) ऐसे व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

13. भारत और भारत के बाहर सेवा करने के लिए वैज्ञानिकों के दायित्व - (1) नियुक्त वैज्ञानिक भारत और भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) नियुक्त वैज्ञानिक को ऐसे प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के अनुक्रम के ब्यौरे पर भारत या भारत से बाहर जाना होगा जिनका विनिश्चय समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया हो।

IndiaCode

(3) यदि किसी भी कारण से, प्रशिक्षण के लिए ब्यौरेवार वैज्ञानिक, प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा को छोड़ देता है तो उसे प्रशिक्षण की पूरी लागत को प्रतिदत्त करना होगा।

14. वैज्ञानिक ख और इससे ऊपर के पद पर प्रोन्नति - (1) वैज्ञानिक-ग से वैज्ञानिक-छ तक के स्तर के पदों पर प्रोन्नति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर वैज्ञानिक संगठनों के लिए यथा संशोधित, उपांतरित लचीली पूरक स्कीम में अधिकथित रीति से तत्काल निचले स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रोन्नति की जाएगी।

(2) आंतरिक छानबीन समिति हेतु -

(क) वैज्ञानिक-ड़ तक के स्तर पर प्रोन्नति के लिए, महानिदेशक द्वारा समिति गठित की जाएगी, जिसमें ब्यूरो के कम से कम वैज्ञानिक-च के स्तर के तीन अधिकारी शामिल होंगे, और उनमें से ज्येष्ठतम समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) वैज्ञानिक-ड़ से वैज्ञानिक-च और वैज्ञानिक-च से वैज्ञानिक-छ पर प्रोन्नति के लिए, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, अर्थात् -

(i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग; - अध्यक्ष

(ii) एक बाहरी सदस्य, जो वैज्ञानिक-च या वैज्ञानिक-छ के स्तर से कम के न हो, जिसे महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और - सदस्य

(iii) ब्यूरो से ऐसा कोई अधिकारी जो वैज्ञानिक-च या वैज्ञानिक-छ के स्तर से कम के न हो, महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; - सदस्य

(3) निर्धारण समितिः

(क) वैज्ञानिक-ड़ के स्तर तक प्रोन्नति के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) ब्यूरो के ऐसे दो अधिकारी जो वैज्ञानिक-च के स्तर से अन्यून हों जिसमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा; और

(ii) बाहर से तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक-च की पंक्ति से अन्यून के हों;

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से किसी व्यक्ति के चयन के संबंध में इन श्रेणियों से संबंधित एक सदस्य होगा।

(ख) वैज्ञानिक-च के स्तर पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाएंगे, अर्थात्

(i) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग का सचिव; - अध्यक्ष\

(ii) अनुसंधान या वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं या संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अन्य मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके ऐसे प्रतिनिधि जो संशोधित लचीली पूरक स्कीम में जिस पद हेतु स्वस्थाने प्रोन्नति की जानी है, वे उससे कम से कम एक स्तर ऊपर के हों - सदस्य

(iii) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो - सदस्य

(iv) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला - सदस्य

(v) निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान - सदस्य

(vi) सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य

IndiaCode

(ग) वैज्ञानिक-छ पद पर प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाएंगे, अर्थात्;

(i) ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग का सचिव;	- अध्यक्ष
(ii) अनुसंधान या वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों या संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंत्रालय या विभाग के दो सचिव या उनके ऐसे प्रतिनिधि जो संशोधित लचीली पूरक स्कीम में जिस पद हेतु स्वस्थाने प्रोन्नति की जानी है, वे उससे कम से कम एक स्तर ऊपर के हों	- सदस्य
(iii) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	- सदस्य
(iv) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	- सदस्य
(v) निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान	- सदस्य
(vi) सचिव या विशेष सचिव या अपर सचिव या संयुक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	- सदस्य

(4) वैज्ञानिक-ख से वैज्ञानिक-ग, वैज्ञानिक-ग से वैज्ञानिक-घ और वैज्ञानिक-घ से वैज्ञानिक-ड़ पर प्रोन्नति करने हेतु ब्यूरो के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के संबंध में छानबीन समिति की सिफारिशों को नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(5) वैज्ञानिक-ड़ से वैज्ञानिक-च और वैज्ञानिक-च से वैज्ञानिक-छ पर प्रोन्नति करने हेतु ब्यूरो के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के संबंध में छानबीन समिति की सिफारिशों को केंद्रीय सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(6) अधिकारियों की यथा सिफारिश प्रोन्नतियाँ, उनके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होंगी।

15. वैज्ञानिक-ख पद पर प्रोन्नति – (1) वैज्ञानिक-ख पद पर प्रोन्नति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

(2) जैसा कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, वैज्ञानिक-ख के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों को निम्नलिखित दो घटकों के आधार पर प्रोन्नति के लिए निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक घटक के लिए सापेक्ष निर्धारण निम्नानुसार होगाः

(क) लिखित परीक्षा - 50 प्रतिशत

(ख) वार्षिक कार्यकारिता मूल्यांकन रिपोर्ट – 50 प्रतिशत

(3) लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो भाग होंगेः

(i) मानकीकरण और गुणता नियंत्रण से संबंधित सामान्य अवधारणाएँ; और

(ii) अभ्यर्थियों के संबंधित विषय का तकनीकी ज्ञान, जैसा कि दूसरी अनुसूची में दिया गया गया है;

(4) लिखित परीक्षा में अर्हता अंक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पचपन प्रतिशत [अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस प्रतिशत] होंगे।

(5) पिछले पांच वर्षों के लिए वार्षिक कार्यकारिता मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के लिए अंक आवंटित किए जाएंगे, जो एपीएआर ग्रेडिंग के अनुसार अधिकतम 10 अंकों में से प्रत्येक वर्ष के लिए निम्न आधार पर होगा;:

उत्कृष्ट	9
बहुत अच्छा	7
अच्छा	5
औसत	3

(6) लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और पिछले पाँच वर्षों के एपीएआर के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक सूची तैयार की जाएगी।

(7) वैज्ञानिक-ख की प्रोन्नति के लिए अधिकारियों के संबंध में चयन सूची महानिदेशक को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

(8) अधिकारियों की प्रोन्नति उनके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

16. स्थायी समितिः (1) कम से कम वैज्ञानिक-च के स्तर से ऊपर वाले ब्यूरो के तीन अधिकारियों के सम्मिलन से कार्यकारी समिति द्वारा विषयों के समकक्ष निर्धारण के लिए स्थायी समिति बनाई जाएगी इनमें से ज्येष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष रहेगा।

(2) विशेषज्ञता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कि अपेक्षित हो सकती है, स्थायी समिति अपेक्षित प्रयोजन के लिए समय समय पर यथा अपेक्षित अतिरिक्त विषयों का अवधारण भी करेगी।

17. संवर्ग की प्राधिकृत संख्या – (1) प्राधिकृत संख्या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर अवधारण किए जाने के अनुसार होगी और इस संवर्ग संख्या में वैज्ञानिक ख, ग, घ, ड़, च और छ के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले पदों की कुल संख्या वर्तमान में 579 है।

परन्तु इन पदों की कुल संख्या प्राधिकृत संख्या से अधिक नहीं होने की शर्त पर लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के कारण वैज्ञानिक ख, ग, घ, ड़, च और छ पदों के बीच परस्पर अंर्तपरिर्वनीयता होगी।

(2) उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी और इसके फलस्वरूप निम्न ग्रेड में कोई विशिष्ट रिक्ति नहीं होगी।

(3) संबंधित अधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद अपग्रेड किया जाएगा और स्वस्थाने प्रोन्नत पद उनके पद ग्रहण करने की अवधि के दौरान व्यक्तिगत होगा।

(4) अधिकारी की अधिवर्षिता, त्यागपत्र, पदच्युति या निधन के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक-ख का मूल पद ही वापस रिक्त होगा।

18. शिथिल करने की शक्ति – जहाँ कार्यकारिणी समिति की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

19. व्यावृत्ति – इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

20. निर्वचन – इन विनियमों की निवर्चन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

पहली अनुसूची

(विनियम 3, 5, 8 और 15 देखें)

क्र.सं.	पद का नाम और पे मैट्रिक्स में लेवल	पदों की संख्या	पदों को भरने की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए अनुभव	प्रोन्नति के लिए पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वैज्ञानिक-ख लेवल 10 में (रु.56100-177500)	परि-वर्तनीय *	(i) संवर्ग से 90% पद सीधी भर्ती द्वारा	-	-	-	-
			(क) दूसरी अनुसूची में दिए गए ऐसे विषयों के संबंध में जिनके लिए गेट आयोजित नहीं की जाती है, उनका ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;	तीस वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंक) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य	कुछ नहीं	लागू नहीं होता
			(ख) दूसरी	21-	(क) आवश्यक -	कुछ नहीं	लागू नहीं होता

IndiaCode

			अनुसूची में दिए गए ऐसे विषयों के संबंध में जिनके लिए गेट आयोजित की जाती है, उनका गेट स्कोर द्वारा।	30वर्ष	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ख) विधिमान्य गेट स्कोर		
			(ii)विनियम 15 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संवर्ग से 10% पद समूह 'ख' पदों से प्रोन्नति द्वारा।	पचास वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 50% अंकों सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ख) प्रयोगशाला तकनीकी काडर

IndiaCode

							पद में तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के रूप में दस वर्षों का सम्मिलित अनुभव या ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राइंग) या पर्यवेक्षक (ड्राइंग) के रूप में दस वर्षों का अनुभव। ग) विनियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	वैज्ञानिक-ग लेवल 11 में (रु. 67700-208700)	परि-वर्तनीय *	प्रोन्नति	-		-	केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक संगठनों हेतु बनाई गई यथा संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित	भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं	

IndiaCode

					जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने लेवल 10 में (रु. 56100-177500) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से	

						ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्याधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए	

IndiaCode

						विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
3.	वैज्ञानिक-घ लेवल 12 (रू. 78800-209200)	परि-वर्तनीय *	प्रोन्नति	छप्पन वर्ष		-	केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक संगठनों हेतु बनाई गई यथा संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री	भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;	

IndiaCode

					अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	या (ii) जिन्होंने लेवल 11 में (रू.67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के	

IndiaCode

						अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष	

IndiaCode

						से अधिक नहीं होगी।	
4.	वैज्ञानिक-ड़ लेवल 13 में (रु. 123100-215900)	परि-वर्तनीय *	प्रोन्नति	-		-	केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक संगठनों हेतु बनाई गई यथा संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में	भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने लेवल 12 में (78800-209200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच	

					इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	वर्ष सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने लेवल 11 (रु. 67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष सेवा की हो। (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के	

IndiaCode

						अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष	

IndiaCode

						से अधिक नहीं होगी।	
5.	वैज्ञानिक-च लेवल 13 ए (रु.131100-216600)	परिवर्तनीय *	प्रोन्नति	-		-	केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक संगठनों हेतु बनाई गई यथा संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	छप्पन वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में इंजीनियरी या	भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 123100-215900) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष सेवा की है या	

					प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	समतुल्य; या (iii) जिन्होंने पे मैट्रिकस में लेवल 12 (रु. 78800-209200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में सात वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के	

IndiaCode

						अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष	

IndiaCode

						से अधिक नहीं होगी।	
6.	वैज्ञानिक-छ लेवल 14 (रु. 144200-218200)	परि-वर्तनीय *	प्रोन्नति	-	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	-	केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक संगठनों हेतु बनाई गई यथा संशोधित लचीली पूरक स्कीम के अनुसार।
			प्रतिनियुक्ति	56 वर्ष	आवश्यक - दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट	भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	

IndiaCode

					किसी विषय में कुल 60% अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50% अंकों) सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन या समतुल्य में बैचलर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य वांछनीय: दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या मेडिसिन में मास्टर डिग्री अथवा प्रकृत विज्ञान में डाक्ट्रेट डिग्री	विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 13ए (रु. 131100-216600) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष सेवा की है या समतुल्य; या (iii) जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 123100-215900) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में चार वर्ष सेवा की है या समतुल्य; और (ख) जिनके पास मानकीकरण या क्वालिटी या आश्वासन या	

IndiaCode

						परीक्षण या उत्पादन या डिजाइन या अनुसंधान के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो, जिनमें से प्रशासन, आयोजना, विकास तथा संबंधित क्षेत्र में सहयोग का सात वर्ष का अनुभव हो तथा सुसंगत क्षेत्र में कार्यक्रमों को विकसित प्रबंधित एवं निदेशित करने का अनुभव हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्षानुवर्षी आधार पर पाँच वर्ष की अधिकतम अध्यधीन रहते हुए	

IndiaCode

						और बढ़ाया जा सकता है। टिप्पण 2 : पोषक संवर्ग के विभागीय अभ्यर्थी जो उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, सिवाय उसके जो फीडर ग्रेड के अधिकारी नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उपांतरित लचीली पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

* आज की तारीख में क्रम सं. 1 से 6 के अधीन पदों की कुल संख्या 579 है।

IndiaCode

टिप्पण : पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में उपदर्शित पदनाम के अतिरिक्त, महानिदेशक कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों को पदाभिहित कर सकते हैं।

दूसरी अनुसूची

(विनियम 3, 6 और 15 तथा पहली अनुसूची देखें)

भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक काडर की भर्ती के प्रयोजनों के लिए विषयों की सूची :

विज्ञान पाठ्यक्रम

1. कृषि
2. रसायन
3. जीव-रसायन विज्ञान
4. सूक्ष्म जीवविज्ञान
5. भौतिक विज्ञान
6. कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
7. मेडिसिन (एमबीबीएस)
8. पर्यावरण विज्ञान

इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

1. खाद्य प्रौद्योगिकी
2. कृषि इंजीनियरी
3. जैव-प्रौद्योगिकी
4. डेयरी प्रौद्योगिकी
5. रसायनिक
6. शैल रसायन
7. पर्यावरण
8. चमड़ा
9. वस्त्र इंजीनियरी और फाइबर विज्ञान

IndiaCode

10. विद्युत

11. इंस्ट्रुमेंटेशन

12. इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार

13. कंप्यूटर

14. सिविल

15. मेक्ट्रोनिक्स

16. परिवहन

17. मकेनिकल

18. उत्पादन और औद्योगिक

19. ऑटोमोबाइल

20. खनन

21. जैव-रसायन विज्ञान

22. धातुकर्म

टिप्पण : जहां दो विषयों को संयुक्त किया गया है, वहां एक या दोनों की अर्हता स्वीकार्य हैं।

[विज्ञापन-III/4/असा./374/19]

ममता उपाध्याय लाल, अपर महानिदेशक

IndiaCode

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

F. No. BS/11/07/2019- In exercise of the powers conferred by section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governing Council of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) "Appointing Authority" means the Director General;

(c) "Assessment Committee" means the committee constituted under sub-regulation (3) of regulation 14;

(d) GATE means the Graduate Aptitude Test in Engineering conducted by the Indian Institute of Science and the Indian Institutes of Technology;

(e) "Internal Screening Committee" means the committee constituted under sub-regulation (2) of regulation 14;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;

(g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;

(h) "Scientific Cadre" means the posts specified in Bureau of Indian Standards Scientific Cadre constituted under Regulation 3 and 4;

(i) "Screening Committee" means the committee constituted under regulation 9;

(j) "Selection Committee" means the committee constituted under regulation 10;

(k) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 published vide Gazette Notification number G.S.R. 584 (E) dated 25th June, 2018;

(l) words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act or the rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.

3. Constitution of Scientific Cadre. – There shall be constituted a Scientific Cadre to be called the Bureau of Indian Standards Scientific Cadre consisting of persons appointed to the posts specified in column (2) of the First Schedule and in the disciplines as given in the Second Schedule.

4. Members of Scientific Cadre. – The following persons shall be the members of the Scientific Cadre, namely:-

(a) persons from the erstwhile Indian Standards Institution Service Cadre who have become members of the Scientific Cadre under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) persons appointed to the Scientific Cadre of Bureau of Indian Standards prior to the commencement of these regulations; and

(c) persons appointed under these regulations.

5. Method of recruitment, scale of pay, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the posts of Scientific Cadre, scale of pay, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the First Schedule.

6. Direct Recruitment of Scientist-B. – (1) Direct recruitment to the post of Scientist-B shall be made in accordance with sub-regulation (3) on the basis of valid GATE score, in respect of those disciplines in the Second Schedule for which GATE is conducted, and by competitive online examination, in respect of those disciplines for which GATE is not conducted.

(2) The discipline wise requirement of scientists shall be determined with the approval of the Executive Committee on the basis of the existing strength of scientists and the discipline-wise vacancies.

(3) The manner of filling up vacancies shall be as under:

(a) vacancies as determined shall be advertised on All-India basis in the leading newspapers giving, among others, full information regarding discipline wise number of posts, reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability, the qualifications and age requirement;

(b) candidates possessing Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with not less than sixty per cent marks [fifty per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes] with maximum age of thirty years shall be eligible to apply for the post of Scientist-B:

Provided that the upper age limit may be relaxed in case of officers and employees of the Bureau and in respect of such categories of persons as may, from time to time, be notified by the Central Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category;

(c) the candidates having valid GATE score shall be shortlisted for interview and the number of candidates to be called for interview or group discussion and interview shall be not more than four times the number of vacancies advertised in the respective disciplines in order of merit of valid GATE score;

(d) for appointment through competitive online examination, a competitive online examination shall be conducted by the Bureau through a professional institution or agency as decided by the Director General and the number of candidates to be called for interview or group discussion and interview shall not be more than four times the number of vacancies advertised in the respective disciplines, in order of merit from among those who have secured at least fifty percent marks in the competitive online examination;

(e) candidates shall be selected discipline wise by one or more Selection Committees on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained by giving eighty five percent weightage to GATE score prescribed in clause (c) or examination process prescribed in clause (d) and by giving fifteen percent weightage to interview or group discussion and interview under clause (c) and clause (d);

(f) candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability cannot be filled on the basis of the criteria laid down in clauses (c), (d) and (e), be selected by giving relaxation to make up the deficiency in the reserved quota, subject to suitability of these candidates for selection.

(g) a reserved list as per merit of successful candidates for filling the vacancies may be drawn which shall remain valid for a period of one year from the date such list is drawn.

7. Probation and Surety Bond for Scientist-B. - (1) The candidates appointed as Scientist-B on direct recruitment or on promotion shall be on probation for a period of two years during which the Director General shall arrange to give them such training and responsibilities as deemed necessary and prescribe departmental examination or examinations to be passed for successful completion of probation.

(2) On expiry of the period of probation, steps shall be taken to obtain the assessment reports of the probationer and to –

(a) confirm the probationer or to issue orders regarding satisfactory termination of probation, as the case may be, if the employee has completed his period of probation to the satisfaction of the appointing authority; or

(b) extend the period of probation by not more than six months or discharge the probationer or terminate the services of the probationer, as the case may be, in accordance with the relevant rules and orders, if the probationer has not completed the period of probation satisfactorily:

Provided that if the probationer is a promotee, he may be reverted to his former position instead of terminating his service on recommendations of the appropriate Selection Committee.

(3) The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation, as the case may be, shall be communicated to the probationer normally within eight weeks of expiry of period of probation.

(4) The confirmation of the probationer after completion of the period of probation is not automatic but is to be followed by formal orders and as long as no specific orders of confirmation or satisfactory completion of probation are issued to a probationer, such probationer shall be deemed to have continued on probation.

(5) The date from which confirmation should be given effect to is the date following the date of satisfactory completion of the prescribed period of probation or the extended period of probation, as the case may be.

(6) A candidate, on appointment to the post of Scientist-B, shall furnish a surety bond in the form specified by the Bureau, for serving the Bureau for a minimum period of three years, and in case such person decides to leave the service either by resignation or absence from service without permission, earlier than three years from the date of employment, he shall be required to reimburse the Bureau six months' emoluments at the rate last drawn by him unless he has worked for a shorter period in which case he shall be required to reimburse the full amount drawn by him.

8. Selection to other posts by deputation. – (1) Where the Executive Committee considers it is expedient so to do in the interest of the Bureau, it may fill up such number of posts at the level of Scientist-C and above upto Scientist-G by deputation:

Provided that in case of posts of Scientist-F and Scientist-G, approval of Central Government shall also be required.

(2) The posts to be filled by deputation shall be advertised in the leading newspapers giving, among others, full information regarding number of posts, prescribed qualifications, age-limit, special expertise, if required and experience as specified in First Schedule.

(3) Candidates who fulfill the prescribed requirements and are shortlisted by the Screening Committee constituted under regulation 9 shall be called for selection.

9. Screening Committee. – (1) Applications received in response to the advertisement for posts to be filled by deputation shall be screened by a Screening Committee consisting of not less than three officers of the Bureau not below the rank of Scientist-D and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the committee, to be nominated by the Director General:

Provided that at least one officer in the Screening Committee shall be above the rank of the post for which the selection is being made.

(2) The candidates as shortlisted by the Screening Committee shall be considered by the Selection Committee for selection.

10. Selection Committee. – (1) Selection Committee for selection to the posts of Scientist-B, Scientist-C, Scientist-D and Scientist-E shall be constituted by the Director General comprising the following members, namely:-

(i) two officers of the Bureau not below the level of Scientist-F, senior among whom shall be the Chairperson; and

(ii) three experts from outside not below the rank of Scientist-F;

Provided that one such member shall belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, in case of selection of person from these categories.

(2) The Selection Committee for selection to the posts of Scientist-F and Scientist-G shall comprise the following members, namely:-

(i) Secretary, Ministry or Department having administrative control of the Bureau;	-Chairperson
(ii) Secretary, Department of Science and Technology;	-Member
(iii) Director General, Bureau of Indian Standards;	-Member
(iv) Director, National Physical Laboratory;	-Member
(v) Director, Central Food Technological Research Institute; and	-Member
(vi) Secretary, Department of Personnel and Training or his representative not below the rank of Joint Secretary.	-Member

11. Appointing Authority. – Appointments to all posts shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee:

Provided that no appointment to the posts of Scientist-F and Scientist-G shall be made without the prior approval of the Central Government.

12. Disqualification. – (1) No person shall be eligible for initial appointment to any post, unless –

(a) he has attained the age of twenty-one years; and

(b) he is citizen of India or belongs to such category of persons as may be eligible for appointment under the Central Government.

(2) No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post.

13. Liability of Scientists to serve in India and outside. – (1) Scientists appointed shall be liable to serve anywhere in lndia and outside lndia.

(2) Scientist appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or outside lndia as the Central Government may decide from time to time.

(3) Scientists detailed for training shall refund in full the cost of training, if for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

14. Promotions of Scientists-B and above. – (1) The promotions to the posts of Scientist-C upto level of Scientist-G shall be made from amongst the officers serving in the immediate lower grade in the manner as laid down in the Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organisations as amended from time to time by the Central Government.

(2) An Internal Screening Committee for -

IndiaCode

(a) promotion upto the level of Scientist-E, shall be constituted by the Director General, comprising of three officers of the Bureau not below the rank of Scientist-F and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the committee.

(b) promotion of Scientist-E to Scientist-F and Scientist-F to Scientist-G shall comprise of the following members, namely:-

(i) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry or Department having administrative control of the Bureau;	-	Chairperson
(ii) one external member not below the level of Scientist-F or Scientist-G, to be nominated by the Director General; and	-	Member
(iii) one officer from the Bureau not below the level of Scientist-F or Scientist-G, to be nominated by the Director General.	-	Member

(3) An Assessment committee for -

(a) promotion upto the level of Scientist-E, shall be constituted by the Executive Committee, comprising the following members, namely:—

(i) two officers of the Bureau not below the level of Scientist-F, senior among whom shall be the Chairperson; and

(ii) three experts from outside not below the rank of Scientist-F;

Provided that one member shall belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category, in case of selection of person from these categories.

(b) promotion to the posts of Scientist-F, shall comprise of the following members, namely:—

(i) Secretary of the Ministry or Department having administrative control of the Bureau;	-Chairperson
(ii) two Secretaries of other Ministries or Departments having administrative control over institutions or organizations involved in research or scientific activities or their representatives who are at least one level above the post to which in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme is to be made;	-Members
(iii) Director General, Bureau of Indian Standards;	-Member
(iv) Director, National Physical Laboratory;	-Member
(v) Director, Central Food Technological Research Institute; and	-Member
(vi) Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Personnel and Training.	-Member

(c) promotion to the posts of Scientist-G, shall comprise of the following members, namely:—

(i) Secretary of the Ministry or Department having administrative control of the Bureau;	-Chairperson
(ii) two Secretaries of other Ministries or Departments having administrative control over institutions or organizations involved in research or scientific activities or their representatives who are at least one level above the post to which in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme is to be made;	-Members
(iii) Director General, Bureau of Indian Standards;	-Member

IndiaCode

(iv) Director, National Physical Laboratory; -Member

(v) Director, Central Food Technological Research Institute; and -Member

(vi) Secretary or Special Secretary or Additional Secretary, Department of Personnel and Training. -Member

(4) The recommendations of the Assessment Committee in respect of officers of Scientific Cadre of the Bureau for promotion of Scientist-B to Scientist-C, Scientist-C to Scientist-D and Scientist-D to Scientist-E shall be referred to the Appointing Authority for approval.

(5) The recommendations of the Assessment Committee in respect of officers of Scientific Cadre of the Bureau for promotion of Scientist-E to Scientist-F and Scientist-F to Scientist-G shall be referred to the Central Government for approval.

(6) Promotions of the officers as recommended shall be effective from the date of such approval.

15. Promotion to the post of Scientist-B. – (1) The promotions shall be made to the posts of Scientist-B through Limited Departmental Competitive Examination.

(2) Officers eligible for promotions to the post of Scientist-B, as specified in First Schedule, shall be assessed for promotion on the basis of the following two components and the relative weightage for each component shall be as follows:-

(a) written examination - 50 per cent

(b) Annual Performance Appraisal Reports - 50 per cent

(3) The written examination shall consist of two parts covering the following:-

(i) general concepts relating to Standardization and Quality Control; and

(ii) technical knowledge pertaining to the respective discipline of the candidates, as provided in Second Schedule;

(4) The qualifying marks in the written examination shall be fifty five per cent [forty five per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes].

(5) Marks for Annual Performance Appraisal Reports for the previous five years shall be allotted, out of a maximum of 10 marks for each year, according to the grading in Annual Performance Appraisal Reports on the following basis:

Outstanding	9
Very Good	7
Good	5
Average	3

(6) A select list will be prepared in order of merit of the candidates on the basis of the total marks obtained in written examination and Annual Performance Appraisal Reports of the previous five years according to their respective weightage.

(7) The select list in respect of officers for promotion to Scientist-B shall be referred to the Director General for approval.

(8) Promotions of the officers shall be effective from the date of such approval.

16. Standing committee. – (1) A Standing Committee to determine the equivalence of disciplines shall be constituted by the Executive Committee comprising of three officers of

the Bureau not below the rank of Scientist-F and the senior most amongst them shall be the Chairperson of the committee.

(2) In order to accommodate the dynamic needs of expertise that may be required, the Standing Committee shall also determine the additional disciplines as required from time to time for recruitment purpose.

17. Authorized strength of cadre. – (1) The authorized strength of cadre shall be such as may be determined from time to time by the Executive Committee with the approval of the Central Government and the cadre strength shall specify the number of posts to be covered under Scientific Cadre as a whole and is 579 as on date:

Provided that there shall be interchangeability between the posts of Scientist-B, Scientist-C, Scientist-D, Scientist-E, Scientist-F and Scientist-G on account of in-situ promotion under the Modified Flexible Complimenting Scheme subject to the condition that total numbers of these posts taken together shall not exceed the authorized strength of cadre.

(2) In-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall be personal to the officer concerned and shall not result in specific vacancy in lower grade on that account.

(3) The post currently held by concerned officer shall be upgraded and shall be personal to him for duration of his holding the in-situ promotion post.

(4) The vacancy that may be created owing to superannuation, resignation, removal or death of the officer shall result in the post reverting to the original position of Scientist-B.

18. Power to relax. - Where the Executive Committee is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, with the approval of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons.

19. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Person with Disability, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

20. Interpretation. - If any question relating to the interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Executive Committee with the approval of the Central Government.

FIRST SCHEDULE

(See regulations 3, 5, 8 and 15)

Sl. no.	Name of post and level in pay matrix.	Number of posts.	Method of filling up posts.	Maximum age-limit for direct recruitment.	Educational qualifications for direct recruitment or deputation.	Experience for direct recruitment or deputation.	Eligibility for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Scientist-B Level 10 (Rs. 56100-177500).	Variable*.	(i) 90% of posts in the cadre by direct recruitment.	-	-	-	-
			(a) by competitive online examination, in respect of	thirty years.	Essential - Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's	NIL	Not applicable

			those disciplines given in the Second Schedule for which GATE is not conducted;		Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule.		
			(b) by GATE score, in respect of those disciplines given in the second schedule for which GATE is conducted.	thirty years.	Essential – (a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. (b) Valid GATE score	NIL	Not applicable
			(ii) 10% of posts in the cadre by promotion from Group `B' posts in accordance with the procedure specified in regulation 15.	fifty years.	Not applicable	Not applicable	(a) Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 50% marks in aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. (b) ten years' experience as Technical Assistant (Laboratory) or ten years' combined experience as Laboratory Officer or Technical Assistant (Laboratory) in the Laboratory Technical Posts Cadre or ten years' experience as Senior Technical Assistant (Drawing) or Supervisor (Drawing) in the Administration,

IndiaCode

							Finance and Other Posts Cadre. (c) Passing of Departmental Examination as specified in regulation 15.
2.	Scientist-C Level 11 (Rs. 67700-208700).	Variable*.	Promotion.	-	-	-	As per Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organizations formulated by Central Government as amended from time to time.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences in any discipline specified in the Second Schedule.	Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Public Sector Undertakings in India or abroad: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing four years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organizations or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years,	

						which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Modified Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the application.	
3.	Scientist-D Level 12 (Rs. 78800-209200).	Variable*.	Promotion.	-	-	-	As per Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organizations formulated by Central Government as amended from time to time.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any	Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Public Sector Undertakings in India or abroad:	

IndiaCode

					discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences in any discipline specified in the Second Schedule.	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing eight years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organizations or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Modified	

IndiaCode

						Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the application.	
4.	Scientist-E Level 13 (Rs. 123100-215900).	Variable*.	Promotion.	-	-	-	As per the Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organizations formulated by Central Government as amended from time to time.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences in any discipline specified in the Second Schedule.	Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Public Sector Undertakings in India or abroad: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 11(Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing ten years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research.	

						Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organizations or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Modified Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the application.	
5.	Scientist-F Level 13A (Rs. 131100-216600).	Variable*.	Promotion.	-	-	-	As per Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organizations formulated by Central Government as

IndiaCode

							amended from time to time.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate Degree in Natural Sciences in any discipline specified in the Second Schedule.	Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Public Sector Undertakings in India or abroad: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix or equivalent; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing twelve years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organizations or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the	

IndiaCode

						competent authority. Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Modified Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the application.	
6.	Scientist-G Level 14 (Rs. 144200-218200).	Variable*.	Promotion.	-	-	-	As per Modified Flexible Complementing Scheme for Scientific organizations formulated by Central Government as amended from time to time.
			Deputation.	fifty-six years.	Essential – Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine or equivalent or Master's Degree in Natural Sciences or equivalent with 60% marks (50% marks in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the aggregate in any discipline specified in the Second Schedule. Desirable: Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine or Doctorate	Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Public Sector Undertakings in India or abroad: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after	

IndiaCode

					Degree in Natural Sciences in any discipline specified in the Second Schedule.	appointment thereto on regular basis in Level 13A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix or equivalent; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix or equivalent; and (b) possessing fifteen years' experience in the field of Standardization or Quality Assurance or Testing or Production or Design or Research, out of which seven years shall be in administration, planning, development and co-operation in relevant field; and experience of evolving, managing and directing programmes in relevant field. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organizations or Department of the Central Governments shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority. Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme, shall not be eligible for	

IndiaCode

						consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for in-situ promotions under Modified Flexible Complementing Scheme. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the application.	

* Total number of posts under Sl. No. 1 to 6 as on date is 579.

Note: In addition to the designation indicated in column 2 of First Schedule, Director General may designate the Scientific Cadre officers as per functional requirements.

InfoCode

SECOND SCHEDULE

(See regulations 3, 6 and 15 and First Schedule)

List of disciplines for the purposes of recruitment to the Bureau of Indian Standards Scientific Cadre:

SCIENCE COURSES

1. Agriculture;
2. Chemistry;
3. Bio-Chemistry;
4. Micro Biology;
5. Physics;
6. Computer Sciences and Information Technology;
7. Medicine (M.B.B.S); and
8. Environmental Science.

ENGINEERING OR TECHNOLOGY COURSES

1. Food Technology;
2. Agriculture Engineering;
3. Bio-Technology;
4. Dairy Technology;
5. Chemical;
6. Petro-Chemical;
7. Environment;
8. Leather;
9. Textile Engineering and Fibre Science;
10. Electrical;
11. Instrumentation;
12. Electronics and Telecommunications;

13. Computer;
14. Civil;
15. Mechatronics;
16. Transport;
17. Mechanical;
18. Production and Industrial;
19. Automobile;
20. Mining;
21. Bio-medical; and
22. Metallurgical.

Note. – Where two disciplines have been combined, qualification in either or both is acceptable.

[ADVT.-III/4/Exty./374/19]
MAMTA UPADHYAY LAL, Addl. Director General

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.30 11:48:10 +05'30'